Hindi Update on Director Remuneration

अभी हाल ही कर्नाटक की एडवांस रूलिंग ने अनिल कुमार अग्रवाल के केस में एक आर्डर नंबर KAR ADRG 30/2020 दिनांक 04.05.2020 Pass किया है| इस एडवांस रूलिंग में बहुत सारे बिंदु सम्मिलित किए गए थे तथा उस पर निर्णय लिया गया था। उसमें से एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि Director Remuneration को salary मानते हुए उस पर जीएसटी applicable होगा अथवा नहीं होगा?

इससे पूर्व राजस्थान की Advance Ruling ने Clay Crafts India Private Limited के केस में निर्णय दिया था कि Director Remuneration को सैलरी नहीं माना जाएगा तथा उस पर जीएसटी देना होगा| यह निर्णय काफी चर्चा में रहा था तथा हमने इस पर एक webinar भी आयोजित किया था। Webinar वैगनआर में इस मुद्दे के अलावा भी काफी सारी एडवांस रूलिंग को सम्मिलित किया गया था। परंतु सबसे ज्यादा प्रश्न इस मुद्दे पर ही पूछे गए थे।

Service tax के समय से ही इस मुद्दे पर काफी सारा विवाद विभाग तथा टैक्सपेयर कंपनी के मध्य में होता रहा है। परंतु उस समय में भी काफी सारे निर्णय टैक्सपेयर के पक्ष में आए थे। इसमें यह कहा गया कि इनकम टैक्स में डायरेक्टर को किया गया भुगतान सैलरी माना गया है तथा टीडीएस भी उसी head में काटा गया है तो उसे सर्विस टैक्स में भी सैलरी ही माना जाएगा। इसलिए उस पर सर्विस टैक्स देना नहीं होगा। हमने भी इसी प्रकार का एक केस M/s Kansara Enggineers Private Limited डिपार्टमेंट के सामने plead किया था तथा यह हमारे हक में गया था।

जीएसटी में भी काफी सारा बदलाव नहीं आया है इसलिए डायरेक्टर को दिए गए renumeration पर GST देना नहीं होगा। Schedule III में बताया गया है कि कौन सी activities सप्लाई नहीं माना जाएगा। इसमें सबसे पहले यह बताया गया है कि employee द्वारा employer को दी गई सर्विस इस schedule में आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि employee द्वारा दी गई सर्विस को सप्लाई ही नहीं माना गया है। अगर यह सप्लाई ही नहीं है तो उस पर जीएसटी देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए यह मूल प्रश्न उठता है कि director को दिया गया renumeration अगर सैलरी है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा अन्यथा अगर यह salary नहीं है तो इस पर जीएसटी देना होगा

कर्नाटक की एडवांस रूलिंग ने यह निर्णय लिया कि यदि Non Executive Director sitting fees का भुगतान किया है तो उस पर जीएसटी देना होगा क्योंकि

sitting fees सैलरी नहीं है। परंतु यदि Executive director को renumeration दिया गया है तो वह सैलरी ही है तथा Schedule III के अनुसार इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा तथा उस पर जीएसटी देना नहीं होगा। इसमें यह भी कहा गया कि GST Act में Employee की कोई परिभाषा नहीं दी गई है इसलिए कंपनी एक्ट में दी गई परिभाषा देखनी होगी। यदि उसमें देखते हैं तो Independent Director/ Non- Excecutive डायरेक्टर को Employee की परिभाषा से बाहर रखा गया है| परंतु whole time director को दिया गया remuneration सैलरी का हिस्सा होगा। अतः Advance Ruling of Karnataka ने Non Executive Director को दिया गया Remuneration को सैलरी नहीं मानते हुए उस पर जीएसटी लागू किया। कंपनी द्वारा डायरेक्टर दिए गए किसी भी भुगतान पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत कंपनी को ही जीएसटी जमा कराना होता है। इसी ध्यान में रखते हुए एडवांस रूलिंग ने कंपनी को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को किए गए भुगतान पर जीएसटी देने का निर्णय सुनाया। परंतु साथ में यह भी कहा कि whole time/exective director को दिया गया renumeration पर जीएसटी नहीं लगेगा|

अब हमारे सामने एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है जिसमें एक राज्य की एडवांस रूलिंग ने कहा है कि डायरेक्टर को दिया गया renumeration सैलरी नहीं है उस पर जीएसटी लगेगा परंतु दूसरे राज्य की एडवांस रूलिंग यह निर्णय लिया है कि whole time director को दिया गया renumeration सैलरी ही है तथा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। Taxpayer के सामने बड़ी दुविधा है कि इन दोनों निर्णय में से किसे सही माना जाए? यहां यह बताना जरूरी है कि एडवांस रूलिंग के निर्णय जिस assessee के लिए आते हैं उस पर यह निर्णय binding होते हैं परंतु यह निर्णय दूसरे assessee पर लागू नहीं होते हैं। जिस assessee के लिए यह निर्णय आता है वह उसे AAAR के समक्ष अपील कर सकता है।

एक विकट समस्या यह है कि Advance Rulings का गठन राज्यवार किया गया है तथा उसमें SGST तथा CGST के अधिकारी ही सम्मिलित किए गए हैं। इसमें कोई भी judicial member नहीं होता है। अतः इससे ज्यादातर निर्णय revenue के हक में ही आते हैं तथा इनको आगे अपील अथवा माननीय हाईकोर्ट में challenge किया जाता है इससे यह निर्णय assessee के हक में आते हैं। इस तरह यह व्यवस्था unnecessary विवादों को जन्म दे रही है।इस पूरी व्यवस्था का अवलोकन करना जरूरी है। इसीलिए Central Authority of Advance Rulings की मांग बार बार उठाई गई है ताकि एक अथॉरिटी ही सभी टैक्सपेयर के cases का निष्पादन करें। इससे हर राज्य में अथॉरिटी द्वारा अलग-अलग निर्णय लेने से उत्पन्न विवाद से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही हमारी

सरकार से यह गुजारिश है कि एडवांस रूलिंग में judicial members का होना भी अत्यंत आवश्यक है ।